न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) – जयपुर

1. पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा
2. प्रकरण संख्या : 27/2020
3. उनवान : सरकार जरिये श्री राजेन्द्र बूसर, प्रवर्तन अधिकारी

बनाम

मैसर्स गोयल एण्टरप्राइजेज, बरकत नगर चौराहा, बरकत नगर श्री कपिल गोयल पुत्र श्री हरिओम निवासी गांव रामगढ रोड महुआ थाना महुआ जिला दौसा हाल निवी 627 बरकत नगर, जिला जयपुर।

4. निर्णय दिनांक : 05.07.2024
5. अधिवक्तागणों का नाम : अ) पैरोकार रसद प्रार्थी की ओर से।

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

प्रार्थी प्रवर्तन अधिकारी, जयपुर श्री राजेन्द्र बूसर द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 पेश कर निवेदन किया है कि दिनांक 11–03–2018 को बजाज नगर थाना पंहुचे। थाना में एक लिखित तहरीर प्रस्तुत की जिसके अनुसार मुखबिर की सूचना पर घरेलू सिलेण्डरों से छोटे सिलेण्डरों में गैस रिफिलिंग की शिकायत पर थाना पुलिस बजाज नगर द्वारा गोयल एण्टरप्राइजेज, बरकत नगर पंहुच कर जांच की गई। मौके पर दुकान के अन्दर कपिल शर्मा नामक व्यक्ति भारत कम्पनी के गैस सिलेण्डर से बिना मार्का के छोटे सिलेण्डर में गैस रिफिलिंग कर रहा था। दुकान की जांच में 2 घरेलू सिलेण्डर (1 आईओसी+1 बीपीसी), 2 छोटे नोन आईएसआई सिलेण्डर मय कुल 15.650 किग्रा. एलपीजी, 1 बांसुरी, 2 पाने को जब्त कर थाने लाया गया जिन्हें प्रवर्तन अधिकारी ने मय जांच दल की जांच कर अप्रार्थी द्वारा कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने एवं कोई संतोषप्रद जवाब नहीं देने की स्थिति में जब्त कर फर्द मौका, फर्द अभिग्रहण, सुपुर्दगीनामा आदि की प्रति पेश कर निवेदन किया है कि जब्त वस्तुओं को आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6–ए(2) के तहत राजसात करने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को साधारण नोटिस एवं बाद में रजि. नोटिस जारी किये गया। जो एक माह से अधिक होने पर भी लौटकर प्राप्त नहीं हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया, प्रकरण में मौके पर कार्यवाही के दौरान अप्रार्थी उपस्थित था एवं की गई कार्यवाही फर्द पर हस्ताक्षर किये। इससे स्पष्ट है कि प्रकरण की जानकारी होते हुए भी आज तक जब्त सामग्री के संबध में क्लेम पेश नहीं किया। प्रकरण लम्बे समय से लम्बित है। अप्रार्थी के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। अप्रार्थी को आज भी बारम्बार आवाज दिलवाई गई बावजूद अनुपस्थित है। पत्रावली में एकतरफा बहस पैरोकार सरकार सुनी गई। प्रार्थी पैरोकार सरकार द्वारा विभागीय प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए जब्त माल को राजसात करने का निवेदन किया। तदुपरान्त पत्रावली दिनांक 05.07.2024 को आदेश हेतु रखी गई।

हम प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का अवलोकन व मनन कर इस निष्कर्ष पर पहुचते है कि दिनांक 11–03–2018 को जब्त सिलेण्डरों व अन्य सामान से घरेलू गैस की रिफिलिंग की जा रही थी। मौके पर अवैध घरेलू, छोटे सिलेण्डर व गैस रिफिलिंग किए जाने वाले सामान भण्डारित किये हुए थे। अप्रार्थी कपिल शर्मा द्वारा मौके पर घरेलू सिलेण्डरों से छोटे सिलेण्डरों में रिफिलिंग की जा रही थी। जिससे अप्रार्थी के अवैध गैस रिफिलिंग करने एवं अवैध क्रय–विक्रय की पुष्टि होती है। जब्तशुदा सामग्री के लिये अप्रार्थी द्वारा कोई वैध दस्तावेज पेश नहीं किये गये ना ही संतोषप्रद जवाब दिया गया। प्रकरण में अप्रार्थी आज भी अनुपस्थित है। अप्रार्थी का यह कृत्य द्रविकृत पैट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 का उल्लंघन है। प्रकरण में किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भी जब्त सामग्री के संबध में कोई क्लेम नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में फर्दानुसार प्रार्थी द्वारा जब्त 2 घरेलू सिलेण्डर (1 आईओसी+1 बीपीसी), 2 छोटे नोन आईएसआई सिलेण्डर मय कुल 15.650 किग्रा. एलपीजी, 1 बांसुरी, 2 पाने को राजसात किया जाता है। जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम को निर्देश दिये जाते हैं कि जब्त वस्तुओं का विधिवत अन्तिम निस्तारण कर राशि राजकोष में जमा कराकर पालना रिपोर्ट प्रेषित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 05.07.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजकुमार कस्वा)
अति. जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय)
जयपुर।